



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20092022-238907
CG-MH-E-20092022-238907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944

No. 4174]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

रेल मंत्रालय

पश्चिम रेलवे

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

मुम्बई, 15 सितम्बर, 2022

का.आ. 4358(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के खेडा जिले में आणंद – गोधरा दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, ठासरा, प्रांत कार्यालय, ठासरा जिला खेडा को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में आणंद – गोधरा दोहरीकरण परियोजना नामक विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य : गुजरात

जिल्ला : खेडा

क्रम संख्या.	सुर्वेक्षण / भूखंड संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जानेवाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
तालुका : ठासरा				
गाँव : वणोती				
1	503	निजी	कृषि	0-00-58
2	921	निजी	कृषि	0-04-48
3	2033	निजी	कृषि	0-04-52
4	919	निजी	कृषि	0-03-35
5	1295	निजी	कृषि	0-05-22
6	1299	निजी	कृषि	0-03-06
7	1298	निजी	कृषि	0-02-33
8	1297	निजी	कृषि	0-00-62
9	1314	निजी	कृषि	0-00-84
10	1313	निजी	कृषि	0-00-13
11	960	सरकारी	-	0-00-33
12	1292	सरकारी	-	0-05-97
13	मारग	सरकारी	-	0-02-81

तालुका : ठासरा				
गाँव : ठासरा				
1	483/1	निजी	कृषि	0-01-44
2	483/2	निजी	कृषि	
3	483/3	निजी	कृषि	
4	484	सरकारी	-	0-02-62
5	482	सरकारी	-	0-00-18
6	480	सरकारी	-	0-00-47
7	471	सरकारी	-	0-02-83

तालुका : गळतेश्वर				
गाँव : अंगाडी				
1	955	निजी	कृषि	0-03-68
2	1332	निजी	कृषि	0-01-30
3	1334	निजी	कृषि	0-06-60
4	1333	निजी	कृषि	0-20-34
5	960	निजी	कृषि	0-13-20
6	931	निजी	कृषि	0-0012
7	931/p1	निजी	कृषि	
8	923	निजी	कृषि	0-01-01
9	956	निजी	कृषि	0-02-74
10	957	निजी	कृषि	
11	958	निजी	कृषि	
12	964	निजी	कृषि	0-10-53
13	935	निजी	कृषि	0-00-03
14	934	निजी	कृषि	0-00-03
15	714	निजी	कृषि	0-03-91
16	712	निजी	कृषि	0-01-91
17	716	निजी	कृषि	0-00-14
18	मारग	सरकारी	-	0-00-40
तालुका : गळतेश्वर				
गाँव : पाली				
1	10/2	निजी	कृषि	0-01-57
तालुका : गळतेश्वर				
गाँव : मालवण				
1	29	निजी	कृषि	0-00-33
2	30	निजी	कृषि	0-04-85
3	31	निजी	कृषि	0-02-88
4	32	निजी	कृषि	0-03-49

[फा. सं. E-Office E-334202]

जी. आर. के. रेड्डी, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**Western Railway****(Construction Organization)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 15th September, 2022

S.O. 4358(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Anand-Godhra doubling Project in District Kheda in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquired such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer Thasra, at Prant office, Thasra District Kheda, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
Anand-Godhra Doubling Project in the state of Gujarat.**

State: GUJARAT**District : Kheda**

Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquired (in Sqm)
Taluka : Thasra				
Village : Vanoti				
1	503	Private	Agriculture	0-00-58
2	921	Private	Agriculture	0-04-48
3	2033	Private	Agriculture	0-04-52
4	919	Private	Agriculture	0-03-35
5	1295	Private	Agriculture	0-05-22
6	1299	Private	Agriculture	0-03-06
7	1298	Private	Agriculture	0-02-33
8	1297	Private	Agriculture	0-00-62
9	1314	Private	Agriculture	0-00-84
10	1313	Private	Agriculture	0-00-13
11	960	Government	-	0-00-33

12	1292	Government	-	0-05-97
13	Marag	Government	-	0-02-81

Taluka : Thasra**Village : Thasra**

1	483/1	Private	Agriculture	0-01-44
2	483/2			
3	483/3			
4	484	Government	-	0-02-62
5	482	Government	-	0-00-18
6	480	Government	-	0-00-47
7	471	Government	-	0-02-83

Taluka : Galteshwar**Village : Angadi**

1	955	Private	Agriculture	0-03-68
2	1332	Private	Agriculture	0-01-30
3	1334	Private	Agriculture	0-06-60
4	1333	Private	Agriculture	0-20-34
5	960	Private	Agriculture	0-13-20
6	931	Private	Agriculture	0-00-12
7	931/p1			
8	923			
9	956	Private	Agriculture	0-02-74
10	957			
11	958			
12	964	Private	Agriculture	0-10-53
13	935	Private	Agriculture	0-00-03
14	934	Private	Agriculture	0-00-03
15	714	Private	Agriculture	0-03-91
16	712	Private	Agriculture	0-01-91
17	716	Private	Agriculture	0-00-14
18	Marag	Government	-	0-00-40

Taluka : Galteshwar**Village : Pali**

1	10/2	Private	Agriculture	0-01-57
---	------	---------	-------------	---------

Taluka : Galteshwar**Village : Malvan**

1	29	Private	Agriculture	0-00-33
2	30	Private	Agriculture	0-04-85
3	31	Private	Agriculture	0-02-88
4	32	Private	Agriculture	0-03-49

[F. No. E-Office E-334202]

G. R. K. REDDY, Chief Project Manager (Construction)